मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 2590 / MGRREGS-MP / वित्त एवं लेखा / 12 भोपाल, दिनांक 07/03/12

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
जिला– समस्त

विषय :– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र. से संबंधित विभिन्न ऑडिट आपत्तियों एवं उनके पालन प्रतिवेदन ऑडिट साफ्ट्वेयर में अंकित करने बाबत्।

––00––

विषयांतर्गत पूर्व में म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् स्तर से विभिन्न पत्रों द्वारा एवं एप्राईजल कमेटी की बैठकों में निरंतर निर्देश दिये गयें हैं कि विभिन्न ऑडिटों में उठाए गये बिन्दुओं एवं उनके पालन प्रतिवेदन को शुद्धता पूर्वक ऑडिट साफ्ट्वेयर में अंकित किया जाये। स्पष्ट है कि जो हार्ड कापी में जिलों ने परिषद् को भेजा है उसको वैसा ही साफ्ट्वेयर में तत्काल ही अंकित किया जाए।

निरंतर निर्देश देने के बाद भी इस संबंध में जिलों से अपेक्षित प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है जोकि खेद जनक है। ऑडिट साफ्ट्वेयर वेबसाईट पर होकर पब्लिक डोमेन में है। अतः स्वयं स्पष्ट है कि समस्त ऑडिट बिन्दुओं का अंकन एवं पालन प्रतिवेदन साफ्ट्वेयर में शुद्धता पूर्वक अंकित होना चाहिये तथा परिषद् को भेजी गई हार्ड कापी एवं साफ्ट् कापी में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिये।

इस संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस कार्यवाही को आप स्वयं अनुश्रवित करें। इस पत्र से संलग्न प्रमाण–पत्र अनिवार्यरूप से मनरेगा परिषद् को दिनांक 10 मार्च 2012 तक उपलब्ध कराएं। इस साफ्ट्वेयर के माध्यम से आपके जिले की समीक्षा की जायेगी। इस के साथ संबंध में शासन स्तर पर भी शीघ्र ही समीक्षा की जायेगी।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

पृ.क्र. /2591 / MGNREGS-M.P / वित्त एवं लेखा / 12 भोपाल,दिनांक 07/03/12

प्रतिलिपि :–

1. संभागायुक्त, समस्त की ओर भेजकर लेख है कि संबंधित कलेक्टरों को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

प्रमुख सचिव
पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि ऑडिट साफ्ट्वेयर में जिले द्वारा समस्त प्रकार की ऑडिट रिपोर्ट को हार्ड कापी से मिलान कर ही ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गये बिन्दुओं एवं उनके पालन प्रतिवेदन को अंकित किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है परिषद् को भेजी गई हार्ड कापी के अनुसार ही साफ्ट्वेयर में अंकन किया गया है।

लेखाधिकारी एनआरईजीएस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक	कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक